कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा (छ0ग0)
District Legal Services Authority, Court Campus, Janjgir-Champa (C.G.)
Phone-(07817) 299100 E-mail- dlsa.janjgir@gmail.com

क्रमांक 1107/फा.क. ए–30/जिविसेप्रा./2025 जांजगीर, दिनांक 22.08.2025

संविदात्मक नियुक्ति (Contractual Engagement) आदेश

एतद् द्वारा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 7490/LADCS-23/2024 बिलासपुर, दिनांक 11.11.2024 के द्वारा जारी दिशा– निर्देशों के तहत तथा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय जांजगीर के लिये अतिरिक्त रूप से मानव संसाधन (कौंसिल) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल का **01** पद एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के **04** पद हेतु नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 2440/LADCS-23-05/2024 बिलासपुर, दिनांक 20.08.2025 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप अनुबन्ध दिनांक **19.08.2025 से 18.08.2026** तक की अवधि के लिये पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति की जाती है :–

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल की चयन सूची

क.	आवेदक/अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता
01	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद सोन	श्री पुरूषोत्तम प्रसाद सोन	ग्राम–हरदा, पोस्ट–टेमर, उपजेल के पास सक्ती, जिला– सक्ती (छ0ग0)

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की चयन सूची

क.	आवेदक/अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता
01	श्री गगन उपाध्याय	श्री संतोष उपाध्याय	पुरानी बस्ती भगत चौक, वार्ड नम्बर–11 जांजगीर, जिला–जांजगीर चांपा (छ0ग0)
02	श्री विनोद कुमार कश्यप	श्री बालकराम कश्यप	ग्राम रोगदा, पोस्ट–सिउड़ तहसील नवागढ़, जिला–जांजगीर चांपा (छ0ग0)
03	सुश्री संगीता मरावी	श्री रामभरोस मरावी	ग्राम व पोस्ट पाली, नियर हाईसकूल जिला–जांजगीर चांपा (छ0ग0)
04	सुश्री सपना सोनी	श्री कामेश्वर सोनी	शीतला वार्ड श्रीराम हास्पिटल अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0)

शर्तें :–

01. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 01 पद पर एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 04 पद पर की गई नियुक्ति पूर्णतया संविदात्मक है, जिनका कार्यकाल/कार्यावधि नालसा के

दिशा–निर्देश के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। उक्त चयनित डिप्टी लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के कार्यावधि/कार्यकाल अनुबन्ध दिनांक अर्थात **19.08.2025 से 18.08.2026** तक की अवधि के लिये होगी।

02. उक्त डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 01 पद पर एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 04 पद पर नियुक्ति किये गये कौंसिलों का मानदेय पूर्व निर्धारित दर के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

नालसा द्वारा निर्धारित		
S.No.	**Particulars**	**Honorarium**
01.	Deputy Chief Legall Aid Defense Counsel	Rs. 60,000/-
02.	Assistant Legal Aid Defense Counsel	Rs. 35000/-

03. यदि कोई लीगल एड डिफेंस कौंसिल, पदभार ग्रहण नहीं करता है या पदभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने पद से त्याग–पत्र दे देता है तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के अधीन एवं संविदात्मक अनुबंध **(Contractual Engagement)** की शर्तों के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही कर, संबंधित का त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की कार्यवाही की जावे, तथा स्वीकार किये गये त्यागपत्र का अनुमोदनार्थ हेतु छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को पूर्ण विवरण एवं अभिलेखों के साथ प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जावेगी। तत्पश्चात वरीयता सूची के अनुसार पृथक्–पृथक् तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को अनुमोदन किये जाने के उपरान्त प्रतीक्षा सूची में से केवल निर्धारित प्रभावशील अवधि तक के लिये श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लीगल एड डिफेंस कौंसिल के नियमानुसार पूर्णतः संविदात्मक अनुबन्ध शर्तों के अधीन नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी तथा नियुक्ति की सूचना छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को प्रेषित किया जावेगा।

04. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त पदों हेतु वरीयता के आधार पर तैयार की गई चयन सूची व प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन उपरान्त, उक्त प्रतीक्षा सूची को दिनांक 18.08.2026 तक प्रभावशील मानी जावेगी।

05. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त कौंसिलों के द्वारा, नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019 नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा तथा उसी के अनुसार कौंसिलों की सेवा समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक एल/20/2019 नालसा दिनांक 11.02.2023 एवं पत्र क्रमांक एफ.एन.एल./20/2019 नालसा दिनांक 14.02.2023 तथा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्ति

किये गये कौंसिल सम्पादित करेंगे। यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे कौंसिलों की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

06. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।

07. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक /एफ.नं./एल– 27/2022 नालसा (पार्ट–फाइल)/4678–4714 दिनांक 27 मार्च 2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टॉफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तो का पालन सुनिश्चित् करने हेतु कोई भी कौंसिल उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे।

(शक्ति सिंह राजपूत)
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)